[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 1-4-2010

अधिसूचना

सा.का.नि.278(अ)केन्द्रीय सरकार, लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम 17) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लाटरी (विनियमन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1998 का 17) अभिप्रेत है ;

(ख) "केंद्रीय कंप्यूटर सर्वर" से आयोजक राज्य के सीधे नियंत्रण के अधीन किसी केंद्रीय अवस्थान पर ऐसी गुणज कंप्यूटर के प्रणाली अभिप्रेत है, जो आन लाइन लाटरी संव्यवहारों को स्वीकार करती है, प्रसंस्कृत करती है, भंडारित करती है और उन्हें विधिमान्य बनाती है या अन्यथा संपूर्ण आनलाइन लाटरी प्रणाली का प्रबंध, मानीटर और नियंत्रण करती है ;

(ग) "वितरक या विक्रय अभिकर्ता" से आयोजक राज्य की ओर से लाटरियों का विपणन और विक्रय करने के लिए किए गए करार के माध्यम से आयोजक राज्य द्वारा इस प्रकार विधि के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यष्टि या फर्म या निगमित निकाय या अन्य विधिक अस्तित्व अभिप्रेत है ;

(घ) "ड्रा" से ऐसी पद्धति अभिप्रेत है, जिसके द्वारा पुरस्कार विजेता संख्याक, यादृच्छिक प्रौद्योगिकी पर आधारित ड्रा मशीन या किसी अन्य यांत्रिकी पद्धति, जो दर्शकों के लिए दृश्यमान रूप से पारदर्शी भी हो, को प्रचालित करके प्रत्येक लाटरी या लाटरी स्कीम के लिए निकाले जाते है ;

(ङ) "आनलाइन लाटरी" से ऐसे लाटरी टर्मिनलों पर खिलाड़ियों को कंप्यूटर या आनलाइन मशीन द्वारा जनित लाटरी टिकटों को क्रय करने के लिए अनुज्ञात करने हेतु सृजित प्रणाली अभिप्रेत है, जहां टिकट के विक्रय और किसी विशिष्ट संख्या या संख्याओं के समुच्चय की

खिलाड़ी की चयन के बारे में सूचना केंद्रीय कंप्यूटर सर्वर में साथ-साथ रजिस्ट्रीकृत की जाती है ;

(च) "आयोजक राज्य" से वह राज्य सरकार अभिप्रेत है, जो या तो अपने राज्यक्षेत्र में लाटरी संचालित करती है या किसी अन्य राज्य में उसकी टिकटों को विक्रय करती हैं,

(छ) "पुरस्कार" से किसी विजेता संख्याक टिकट के लिए संदेय रकम अभिप्रेत है ;

(ज) "विक्रय आगमों" से किसी विशिष्ट ड्रा या स्कीम या दोनों की लाटरियों की बाबत प्रत्येक टिकट पर मुद्रित अंकित मूल्य पर संगणित टिकटों के विक्रय की बाबत आयोजक राज्य को वितरक द्वारा संदेय रकम अभिप्रेत है ;

(झ) "प्रत्याभूति निक्षेप" से संविदा की सम्यक पूर्ति के लिए किसी भी रूप में वितरक/विक्रय अभिकर्ता द्वारा आयोजक राज्य को संदत्त कोई निक्षेप या रकम या बैंक गारंटी अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

(3) **लाटरी का आयोजन** - (1) कोई राज्य सरकार अधिनियम और इन नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कागज लाटरी या आनलाइन लाटरी या दोनों को आयोजित कर सकेगी ।

(2) राज्य सरकार, यदि वह ऐसा विनिश्चय करे, अपने राजपत्र में अधिसूचना जारी करके लाटरी या लाटरियों को उनके प्रयोजन, परिधि, परिसीमा और पद्धतियों का वर्णन करते हुए, आयोजित कर सकेगी ।

(3) आयोजक राज्य राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से प्रत्येक लाटरी के बारे में अग्रिम रूप से निम्नलिखित सूचना की घोषणा करेगी, अर्थात् :-

(क) लाटरी या लाटरी स्कीम का नाम ;

(ख) लाटरी टिकट की कीमतें ;

(ग) कागज लाटरी की दशा में मुद्रित टिकटों की कुल संख्या ;

(घ) मुद्रित टिकटों का सकल मूल्य ;

(ङ) वितरकों या विक्रय अभिकर्ताओं के उनके पते और संपर्क सूचना सहित नाम ;

(च) पुरस्कार संरचना ;

(छ) पुरस्कार धन के रूप में प्रस्थापित रकम ;

(ज) ड्रा की आवधिकता ;

(झ) वह स्थान, जहां ड्रा संचालित किया जाएगा ; और

(ञ) पुरस्कार विजेता टिकटों या पुरस्कार विजेताओं को निकालने के लिए प्रक्रिया ।

(4) यदि कोई आयोजक राज्य एक से अधिक लाटरी आयोजित करने का विनिश्चय करता है तो उपनियम (3) यथाउपबंधित प्रक्रिया का प्रत्येक लाटरी के लिए पालन किया जाएगा ।

(5) कागज लाटरी टिकटें और लेखन सामग्री, जिन पर आनलाइन लाटरी टिकटें जारी की जाती हैं, आयोजक राज्य द्वारा सरकारी मुद्रणालय में या भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय बैंक एसोशिएसन, मुंबई के पैनल में सम्मिलित किसी अन्य उच्च प्रतिभूति मुद्रणालय में मुद्रित की जाएंगी ।

(6) एक साथ चलाई गईं सभी लाटरी स्कीमों से आयोजक राज्य द्वारा बंपर ड्रा के सिवाय लाटरी ड्रा की संख्या प्रतिदिन 24 से अधिक नहीं होगी ।

(7) किसी राष्ट्रीय अवकाश को किसी लाटरी का कोई ड्रा संचालित नहीं किया जाएगा ।

(8) किसी टिकट का न्यूनतम विक्रय मूल्य दो रुपए से कम नहीं होगा ।

(9) किसी लाटरी स्कीम में पहला पुरस्कार दस हजार रुपए से कम नहीं होगा ।

(10) आयोजक राज्य लाटरी के बंपर ड्रा के लिए प्रति ड्रा 5 लाख रुपए की न्यूनतम रकम और लाटरी के सभी अन्य प्ररुपों के लिए प्रति ड्रा 10 हजार रुपए की न्यूनतम रकम प्रभारित करेगा ।

(11) वह राज्य सरकार, जिसकी अधिकारिता के अधीन लाटरी टिकट विक्रय किए जा रहे हैं, आयोजक राज्य से प्रति ड्रा न्यूनतम दो हजार रुपए की रकम प्रभारित करने की हकदार होगी, किंतु प्रभारणीय अधिकतम रकम उस रकम से अधिक नही होगी जो राज्य सरकार द्वारा अपनी स्वंय की लाटरी से प्रभारित की जा रही है ।

(12) आयोजक राज्य ड्रा के परिणाम को कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर के और दो राज्य स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा, जिनमें से एक अंग्रेजी के साथ-साथ उसके राजपत्र में होगा ।

(13) आयोजक राज्य, राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी को अभिहित प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगा जो राज्य में लाटरी के आयोजन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(14) कोई आयोजक राज्य किसी प्ररूप या संयोजन में एकल, दोहरे या तिहरे अंक के आधार पर लाटरी टिकट पर या ऑनलाइन लाटरी में पुरुस्कार का प्रस्ताव नही करेगा ।